5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र. क्र. रिव्यू/ /2/2011 Review - 1255 - III/2011

दीपचन्द्र पुत्र श्री भगवती प्रसाद गुप्ता निवासी रामपुरा बाण सागर तहसील व जिला सागर

.......प्रार्थी

बनाम

1 संतोष कुमार गुप्ता पुत्र रामकृष्ण गुप्ता

2. कृष्ण मुरारी गुप्ता पुत्र श्री रामकृष्ण गुप्ता

3. जितेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रामकृष्ण गुप्ता

4. श्रीमती रामप्यारी बेवा पन्नालाल गुप्ता निवासीगण आनंद भण्डार के सामने बड़ा बाजार सागर

5. दयोदय निलय विधा निकेत वैश्य कस्तूरवन सा.किर.कनेरा देव सचिव राजकुमार जैन कस्तूर चंद जैन निवासी लक्ष्मीपुरा सागर

......प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा ... 4-8-2011 को प्रस्तुत ... 4-8-11 रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय सदस्य महोदय (विनोदकुमार) राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश के द्वारा निगरानी कमांक1211–2/2008 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2011 के निर्णय के विरूद्ध पुनराअवलोकन</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थी का पुनराअवलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी ने अपर आयुक्त सागर संभाग के निर्णय के विरूद्ध इसी न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी उक्त निगरानी में अभिलिखित भूमि स्वामी ईश्वरीप्रसाद की फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर अनावेदकगणों ने नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रविशिष्टि कमांक–11 में पारित आदेश दिनांक 01.04. 1994 से अनावेदकगणों का नामांतरण स्वीकार किया उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी अनुविभागीय अधिकारी सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो कि दिनांक 27.06.1998 को स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया और प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुये पुनःसुनवाई कर आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा पुन दिनांक 16.06. 2003 को अनावेदक का नामांतरण स्वीकार किया । उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Review 1255-III/2011 जिला ... सागर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.1.16	मैंने प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती के अभिलेखों तथा आक्षेपित रा.मं. आदेश दि. 21.4.11 का अध्ययन किया। तर्क में प्रकरण के इतिहास को दोहराया गया एवं रिव्यू मेमो के बिन्दुओं की पुनरावृत्ति करते हुए यह कहा गया कि व्यवहार न्यायालयों ने स्वत्व के बिन्दु पर अन्तिम निर्णय नहीं दिया है, ऐसे में व्यवहार न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के आधार पर पारित रा.मं. का आक्षेपित आदेश उचित नहीं है। यह कहते हुए रिव्यू स्वीकार करने का निवेदन किया गया। तर्कों के प्रकाश में अभिलेखों एवं आक्षेपित आदेश दि. 21.4.11 के अध्ययन से मैंने यह पाया कि रा.मं. का उक्त आक्षेपित आदेश एक स्पष्ट, विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश है। मैंने यह भी पाया कि प्रकरण में वाद बाद	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए, एवं मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि बार-बार प्रत्यावर्तन न्यायिकवाद की प्रक्रिया बढ़ाई जाती रहने के प्रयासों को बल मिलना संभावित है। रा.मं. के आक्षेपित आदेश में SDO, अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त सभी के आदेशों पर टीका, विवेचना एवं अभिमत युक्त निष्कर्ष विद्यमान हैं।

तर्क के दौरान मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को माननीय व्यवहार न्यायालयों के संदर्भित आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु अवसर दिया, जिनके आधार पर वे यह रिव्यू आवेदन ग्राह्य कराना चाहते हैं, अतः जिनकी प्रतियां उन्हें रिव्यू आवेदन के साथ लगानी चाहिए थी किन्तु उन्होंने साथ नहीं लगाई, और ना ही मेरे द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त मौके के बावजूद उपलब्ध कराया। ऐसे

6.1.16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1255-III/11 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में, एवं रा.मं. के आक्षेपित आदेश में इन व्यवहार न्यायालयों के आदेशों के संबंध में पढ़ने के बाद, मेरा यह मानना है कि आवेदक की इन आदेशों के माध्यम से कोई ऐसा बिन्दु प्रस्तुत नहीं करना जैसे बिन्दु को लेकर वह तर्क कर रहे हैं। (व्य. न्या. के ये आदेश आज दिनांक तक रा. मं. में आवेदक अधिवक्ता ने नहीं दिए हैं)।	
	उपरोक्त बातों एवं विवेचना के प्रकाश में रा. मं. द्वारा पूर्व में पारित आक्षेपित आदेश दि. 21.4.11 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता।	
	यदि मान. व्यवहार न्यायालयों के प्रकरणों के अन्तिम आदेशों के	

[कृ. प. उ.

रिवू क्र. 1255/11/11 निगरानी

दीपचन्द बिनाम छोटेलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकाश में आवेदक कोई नया दावा राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ऐसा दावा, संबंधित स्वत्व संबंधी अन्तिम आदेशों की प्रमाणित प्रतियों के साथ, सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष, वे अपनी इच्छा एवं विकल्प के अनुसार, प्रस्तुत कर सकते हैं। रिवू आवेदन अग्राह्य। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द.हो। 6.1.16 (सदस्य)	